निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 43 / 2024
दायरा दिनांकः–21.05.2024
निर्णय दिनांकः– 29.1.25

उनवान

1. छीतरलाल आयु 42 वर्ष पुत्र चतरा जाति चमार निवासी अल्लापुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. कमल आयु 55 साल पुत्र राधा किशन जाति कबाड़ी
2 कविता आयु 40 वर्ष पुत्री बाबूलाल जाति कबाड़ी
3 कांतिबाई आयु 57 वर्ष पुत्री राधाकिशन जाति कबाड़ी
4 धन्नी बाई आयु 60 वर्ष पुत्री राधाकिशन जाति कबाड़ी
5 बलराम आयु 35 वर्ष पुत्र बाबूलाल जाति कबाड़ी
6 भूराबाई आयु 50 वर्ष पुत्री राधाकिशन जाति कबाड़ी
7 ललित आयु 35 वर्ष पुत्र बाबूलाल जाति कबाड़ी
8 संगीता आयु 30 वर्ष पुत्री बाबूलाल जाति कबाडी
9 संतराबाई आयु 60 पत्नि बाबूलाल जाति कबाड़ी
10 हरिराम आयु 40 पुत्र राधाकिशन जाति कबाड़ी निवासीगण किशोरपुरा
11. रामजीवन आयु वर्ष पुत्र रामदयाल जाति धोबी निवासी कडैयाहाट तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०)।
12. सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०)।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा,53 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः– 29.1.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री बृजभूषण शर्मा – वादी
2. श्री इकरामुल्ला खान – प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा,53 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम किशोरपुरा तहसील छबड़ा में भूमि खसरा नं. 12 रकबा 2.0487 हैक्टेयर वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 ता 11 की संयुक्त खातेदारी राजस्व रिकोर्ड में दर्ज चली आ रही है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमियात में वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 ता 11 द्वारा मौके पर आपसी सहमति से बटवारा कर रखा है तथा मौके पर बटवारे अनुसार काबिज है। बटवारे के अनुसार दक्षिणी तरफ मेठ से लगवा प्रतिवादी नं. 11 का हिस्सा है, तथा उससे

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

लगवा उत्तर की और वादी का हिस्सा है। वादी द्वारा अपने हिस्से के चारों और तार फैसिग एवं पत्थरों की बाउड्री कर रखी है। वाद में वर्णित भूमियात राजस्व रिकोर्ड में संयुक्त रूप से दर्ज होने से वादी अपने हिस्से की भूमि में किसी प्रकार का सुधार नहीं कर पा रहा है। वादी अपने हिस्से की भूमि का उन्नत बनाना चाहता है। इस कारण वादी अपने हिस्से की भूमि को राजस्व रिकोर्ड एवं नक्शे में अलग दर्ज करवाने का अधिकारी है। वाद कारण दिनांक 20.04.2024 को पैदा हुआ जब वादी द्वारा प्रतिवादी नं. 1 ता 11 से वाद में वर्णित भूमि को राजस्व रिकोर्ड में अलग–अलग दर्ज करवाने को कहा तो प्रतिवादीगण द्वारा बना कर दिया गया। अत यही दिनांक बिनाय दावा कायम की जाती है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमियात में मौखिक रूप से मौके पर किये गये बटवारे के आधार पर वर्तमान में काबिज होने से कब्जे के आधार पर अपने हिस्से की भूमि को राजस्व रिकोर्ड मे अपने नाम करवाने व नक्शे में भी कब्जे अनुसार तरमीम करवाने का अधिकारी है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी क्रम 1 ता 10 के सम्मन वाद तामील प्राप्त होने पर उनके विरूद्ध दिनांक 11.06.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तथा प्रतिवादी क्रम 11 की ओर से इकबाली जवाब पेश हुआ। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम किशोरपुरा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 34, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम किशोरपुरा पेश किया गया। साक्ष्य वादी में PW1 छीतरलाल के बयान कराये गयें।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम किशोरपुरा तहसील छबडा में स्थित है। जो वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 11 के शामलाती खातेदारी में दर्ज चली आ रही है विवादित आराजी का वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 11 द्वारा आपसी सहमति से मौके पर बटवारा कर रखा है तथा मौके पर बटवारा अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर तार फेन्सिंग एवं पत्थरों का कोट कर रखा है उक्त विवादित भूमि शामलाती खातेदारी में दर्ज होने से वादी अपने हिस्से की भूमि का सुधार नही कर पा रहा है वादी अपनी भूमि को उन्न्त बनाना चाहता है वादी अपने हिस्से की भूमि को मौके पर हुए सहमति बटवारा के आधार पर पृथक–पृथक विभाजन कराना चाहता है वादी का वाद स्वीकार फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम किशोरपुरा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 34 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खातेदारी में दर्ज है जिसमें वादी का हिस्सा 1/6 दर्ज है। वादी अपने हिस्से की भूमि का बटवारा कराकर अलग खातेदारी में दर्ज करवाना चाहतें है प्रतिवादी क्रम 1 ता 10 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा प्रतिवादी क्रम 11 द्वारा इकबाली जवाब पेश किया गया। प्रतिवादी क्रम 11 द्वारा भी इकबाली जवाब दावा में बताया कि वादी व प्रतिवादी क्रम 11 के हिस्से की भूमि का मौके व कब्जे

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

अनुसार बटवारा किया जाकर नक्शे में तरमीम करने का निवेदन किया है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खातेदारी की है जिसमें सभी का हिस्सा अलग–अलग दर्ज है वादी एवं प्रतिवादी क्रम 11 अपने – अपने हिस्से की भूमि का मौके पर पूर्व में हुए बटवारा एवं कब्जे व हिस्से अनुसार पृथक–पृथक विभाजन करा कर अलग खातेदारी दर्ज करवाना चाहतें है वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम किशोरपुरा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 12 रकबा 2.0487 है0 में वादी के हिस्सा 1/6 का मौके पर कब्जे को प्राथमिकता प्रदान करते हुए अच्छे मे से अच्छी एवं बुरी मे से बुरी भूमि अनुसार रास्ते को ध्यान में रखतें हुए वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जाता है तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

प्राथमिक डिक्री

वाद संख्या 43/2024	धारा 53 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः– 29.1.25
समक्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री बृजभूषण शर्मा–वादी		अभिभाषक प्रतिवादीः– इकरामुल्ला खान– प्रतिवादी

वाद शीर्षक

उनवान

1. छीतरलाल आयु 42 वर्ष पुत्र चतरा जाति चमार निवासी अल्लापुरा तहसील छबडा

बनाम

1. कमल आयु 55 साल पुत्र राधा किशन जाति कबाड़ी
2 कविता आयु 40 वर्ष पुत्री बाबूलाल जाति कबाड़ी
3 कांतिबाई आयु 57 वर्ष पुत्री राधाकिशन जाति कबाड़ी
4 धन्नी बाई आयु 60 वर्ष पुत्री राधाकिशन जाति कबाड़ी
5 बलराम आयु 35 वर्ष पुत्र बाबूलाल जाति कबाड़ी
6 भूराबाई आयु 50 वर्ष पुत्री राधाकिशन जाति कबाड़ी
7 ललित आयु 35 वर्ष पुत्र बाबूलाल जाति कबाड़ी
8 संगीता आयु 30 वर्ष पुत्री बाबूलाल जाति कबाडी
9 संतराबाई आयु 60 पत्नि बाबूलाल जाति कबाड़ी
10 हरिराम आयु 40 पुत्र राधाकिशन जाति कबाड़ी निवासीगण किशोरपुरा
11. रामजीवन आयु वर्ष पुत्र रामदयाल जाति धोबी निवासी कडैयाहाट तहसील छबड़ा
12. सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०)।

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम किशोरपुरा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 12 रकबा 2.0487 है0 में वादी के हिस्सा 1/6 का मौके पर कब्जे को प्राथमिकता प्रदान करते हुए अच्छे मे से अच्छी एवं बुरी मे से बुरी भूमि अनुसार रास्ते को ध्यान में रखतें हुए वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जाता है

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 29.1.25 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला–बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

...प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां (राज0)

अन्तिम डिक्री

वाद संख्या 43/2024	धारा अन्तर्गत 53 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक : 19.5.25
समक्ष : श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादीः–श्री बृजभूषण शर्मा		अभिभाषक प्रतिवादीः– श्री इकरामुल्ला खान

वाद शीर्षक

उनवान

1. छीतरलाल आयु 42 वर्ष पुत्र चतरा जाति चमार निवासी अल्लापुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. कमल आयु 55 साल पुत्र राधा किशन जाति कबाड़ी
2 कविता आयु 40 वर्ष पुत्री बाबूलाल जाति कबाड़ी
3 कांतिबाई आयु 57 वर्ष पुत्री राधाकिशन जाति कबाड़ी
4 धन्नी बाई आयु 60 वर्ष पुत्री राधाकिशन जाति कबाड़ी
5 बलराम आयु 35 वर्ष पुत्र बाबूलाल जाति कबाड़ी
6 भूराबाई आयु 50 वर्ष पुत्री राधाकिशन जाति कबाड़ी
7 ललित आयु 35 वर्ष पुत्र बाबूलाल जाति कबाड़ी
8 संगीता आयु 30 वर्ष पुत्री बाबूलाल जाति कबाडी
9 संतराबाई आयु 60 पत्नि बाबूलाल जाति कबाड़ी
10 हरिराम आयु 40 पुत्र राधाकिशन जाति कबाड़ी निवासीगण किशोरपुरा
11. रामजीवन आयु वर्ष पुत्र रामदयाल जाति धोबी निवासी कडैयाहाट तहसील
12. सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील छबड़ा जिला बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है किः–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी वाके ग्राम किशोरपुरा तहसील छबडा का पक्षकारान के मध्य पृथक–पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है

नाम खातेदार	ख0 नं0	रकवा	लगान	दिशा
1. छीतरलाल पुत्र चतरा जाति चमार सा0देह अल्लापुरा	12	0.3415	1.27	मध्य
2. रामजीवन पुत्र रामदयाल जाति धोबी सा0 कडैयाहाट	12/1	0.6829	2.53	दक्षिण
3. कमल, हरिराम, पुत्र राधाकिशन, हिस्सा 27/81 कान्ति बाई, धन्नी बाई, भूरा बाई, पुत्री राधाकिशन हिस्सा 40/81 बलराम ललित पुत्र बाबूलाल, संगीता, कविता पुत्री बाबूलाल, सन्तरा बाई पत्नि स्व0 बाबूलाल हिस्सा 14/81 जाति कबाडी सा0देह	12/2	1.0243	3.80	उत्तर

उपरोक्तनुसासर विवादित आराजी पक्षकारान के मध्य पृथक–पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जात है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 19.5.25 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
छबडा जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	मूल पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		